

प्रेस नोट संख्या-37

दिनांक 26.03.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 01 किलो 20 ग्राम गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 25.03.2026 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांजा की पुड़िया बनाकर मालती नदी के पास गांजा बेच रहे अभियुक्त दद्वन सिंह पुत्र स्व० रमाकान्त सिंह निवासी ग्राम रामगढ़ थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के कब्जे से एक झोले से 300 पुड़िया में कुल 1020 ग्राम गांजा बरामद हुआ । बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- दद्वन सिंह पुत्र स्व० रमाकान्त सिंह निवासी ग्राम रामगढ़ थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र 45 वर्ष ।

बरामदगी-

- 01 किलो 20 ग्राम गांजा ।

पंजीकृत अभियोग -

- मु०अ०सं० 35/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० राजेश कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० राजकुमार सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. हे०का० मो० आलम थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. हे०का० जंगबहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 224/18 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 62/25 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।